बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बिहार, पटना।

संकल्प

विषयः— निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीनस्थ औ0 प्र0 संस्थानों (महिला सहित) में योजना/गैर योजना अन्तर्गत मशीन, टुल्स एवं उपकरणों के क्रय हेतु केन्द्रीय क्रय समिति का गठन।

श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) में विभागीय संकल्प संख्या–1190 दिनांक–16–05–2017 के द्वारा राज्य के सरकारी औ0 प्र0 संस्थानों (महिला सहित) में मशीन, टुल्स एवं उपकरणों (लेखन सामग्री एवं कच्चा माल छोड़कर) के क्रय हेतु आपूर्तिकर्त्ताओं एवं दरों का निर्धारण करने के लिये केन्द्रीय क्रय समिति का गठन किया गया था।

उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप निम्नानुसार केन्द्रीय क्रय समिति का पुर्नगठन किया जाता है:–

(1)	निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना –	अध्यक्ष
(2)	मुख्यालय में पदस्थापित संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण/वरीयतम उप निदेशक प्रशिक्षण–	सदस्य सचिव
(3)	विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार – –	सदस्य
(4)	उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना–	सदस्य
(5)	उद्योग विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य – –	सदस्य
(6)	निदेशक द्वारा मनोनीत औ0 प्र0 संस्थान के दो (2) प्राचार्य – –	सदस्य

केन्द्रीय क्रय समिति, निदेशालय एवं औ0 प्र0 संस्थान (महिला सहित) के प्राचार्य के कार्य एवं दायित्वः–

1– निदेशालय द्वारा औ0 प्र0 संस्थानों (महिला सहित) में आवश्यक मशीन, टुल्स एवं उपकरणों के क्रय हेतु राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर निविदा आमंत्रित की जाती है। केन्द्रीय क्रय समिति उक्त निविदाओं पर विचार कर राज्य के औ0 प्र0 संस्थानों में विभिन्न मशीन, टुल्स एवं उपकरणों के क्रय हेतु आपूर्तिकर्त्ता का चयन एवं दर का निर्धारण करेगी।

2– केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर के आलोक में निदेशालय/प्राचार्यो द्वारा आपूर्तिकर्त्ता को क्रयादेश दिया जायेगा।

3– मशीन, टुल्स एवं उपकरणों को औ0 प्र0 संस्थानों (महिला सहित) में आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की जाँच कर संतुष्ट हो जाने पर संबंधित प्राचार्य, उक्त मद में प्राप्त आवंटन से आपूर्तिकर्त्ताओं को निर्धारित दर के अनुसार नियमानुसार भुगतान करेंगे।

4– सामग्रियों के क्रय, आपूर्ति एवं भुगतान में किसी प्रकार का विवाद होने पर क्रय समिति उसपर विचार कर अन्तिम निर्णय लेगी।

5– उपरोक्त क्रय में बिहार सामग्री खरीद अधिमानता नियमावली 1975 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों तथा अन्य नियमों का पालन किया जायेगा।

6– इस समिति का कार्यकाल तीन वर्षो के लिए होगा अथवा तब तक के लिए जब तक इस समिति का पुर्नगठन नहीं हो जाता है।

7– सरकार बिना कारण बताये कभी भी इसे विघटित कर सकती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण के सूचनार्थ इस संकल्प को राजपत्र के साधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं संबंधित लोगों को इसकी प्रति दी जाय।

ह0/- 5/4/18
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–टी–3/क्रय विविध–02/2018–685/पटना, दिनांक– 05.04.18

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अगामी साधरण अंक में प्रकाशन तथा दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने के निमित्त प्रेषित।

ह0/- 5/4/18
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–टी–3/क्रय विविध–02/2018–685/पटना, दिनांक– 05.04.18

प्रतिलिपिः– गठित केन्द्रीय क्रय समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 5/4/18
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–टी–3/क्रय विविध–02/2018–685/पटना, दिनांक– 05.04.18

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सभी उप निदेशक, प्रशिक्षण, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा)/सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान (महिला सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 5/4/18
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

C-2/17 sankalp
02/04/18/P-2